प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 06.04.2026

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा छिनैती के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से छिनैती का 01 मोबाइल फोन व चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

दिनांक 02.04.2026 को थाना मुरादनगर पर वादी श्री रवि कुमार द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की बहन से घर आते समय हाथ से मोबाइल फोन को छीन कर ले जाना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धारा- 304(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात दिनांक 05.04.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान उपरोक्त घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त 1.शिवम पुत्र अनिल निवासी ग्राम उखलारसी, थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष 2. भूपेन्द्र उर्फ छोटू पुत्र नेमपाल निवासी ग्राम पुर्सी, मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से छिनैती का 01 मोबाइल फोन व चोरी की गई 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई । जिसके आधार पर पंजीकृत अभियोग में धारा- 317(2)/3(5) बीएनएस की बढ़ोतरी की गयी । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि जो वीवो का मोबाइल हमसे मिला है वह हमने मैट्रो होम्स के पास मुरादनगर से एक लडकी के हाथ से छीना था तथा करीब दो माह पहले हम दोनों ने अपने साथी शिवा के साथ मिलकर मुरादनगर मैट्रो स्टेशन के पास से एक साइकिल पर जा रहे व्यक्ति से भी एक मोबाइल छीन लिया था और वहां से भाग गये थे छीना हुआ वह मोबाइल हमारे साथी शिवा के पास ही है और जो मोटरसाइकिल हमारे पास से मिली है वह मोटरसाइकिल हमने सीकरी मेला मोदीनगर से चोरी की थी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.शिवम पुत्र अनिल निवासी ग्राम उखलारसी, थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष
2.भूपेन्द्र उर्फ छोटू पुत्र नेमपाल निवासी ग्राम पुर्सी, मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष

वांछित अभियुक्त का नाम-

शिवा निवासी मुरादनगर गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण -

छिनैती का 01 मोबाइल फोन व चोरी की गई 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त भूपेन्द्र उर्फ छोटू उपरोक्त के विरूद्ध उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है तथा 01 अभियोग थाना मुरादनगर पर छिनैती का पूर्व में भी पंजीकृत है तथा 01 अभियोग चोरी का थाना मोदीनगर पर व 01 अभियोग चोरी का, 01 अभियोग मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना मधुवन बापूधाम पर पंजीकृत है। अभियुक्त के विरूद्ध कुल 05 अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त शिवम उपरोक्त के विरूद्ध उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। 01 अभियोग थाना मुरादनगर पर छिनैती का पूर्व में भी पंजीकृत है। थाना मोदीनगर पर भी 01 अभियोग चोरी का पंजीकृत है।

यक्ष एप्प के माध्यम से आपराधिक इतिहास की जानकारी की गयी तो अभियुक्त शिवम पर 01 अभियोग लूट व 01 अभियोग अपहरण का थाना मुरादनगर पर तथा थाना मधुवन बापूधाम पर 01 अभियोग चोरी का व थाना नन्दग्राम पर 01 अभियोग छिनैती का पंजीकृत है। अभियुक्त के विरूद्ध कुल 07 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा द्वारा स्कूल-कालेज पर छात्राओं को हेल्पलाईन नम्बरों व मिशन शक्ति एवं ऑपरेशन प्रहार के सम्बन्ध में जागरुक किया गया।

आज दिनांक 06.04.2026 को थाना नन्दग्राम एन्टी रोमियो/मिशन शक्ति टीम द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाना क्षेत्र के स्कूल कालेज पर छात्राओ/महिलाओ को हेल्पलाइन नम्बर 1090/1076/181/112/108/102 व महिलाओ से सम्बन्धित सरकार द्वारा संचालित सभी योजना के सम्बन्ध मे जागरुक कराया गया व महिला सम्बन्धी अपराधो में पुलिस की कार्यप्रणाली की जानकारी दी गयी।

1. **एम०एल० पब्लिक स्कूल राजनगर एक्टेशन-** छात्र/छात्राओ को ऑपरेशन प्रहार के तहत हेल्पलाईन नम्बर साईबर क्राईम व मिशन शक्ति टीम द्वारा एमएल पब्लिक स्कूल राजनगर एक्टेशन की छात्र/छात्राओ को सुरक्षा, आत्मरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण से संम्बन्धित महत्तवपूर्ण जानकारी प्रदान की गयी। बालिकाओ को बैड टच गुड टच के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया तथा उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा या अपराध, समस्या होने पर तुरंत पुलिस हेल्पलाइन नम्बर 112,1090,181 आदि के उपयोग के बारे में विस्तार से बताया गया व पंपलेट वितरित किए गए इसके अतिरिक्त ऑपरेशन प्रहार के बारे में जागरूक किया गया तथा ड्रम्स/नशीला पदार्थ के सेवन व उनके दुष्परिणाम से अवगत कराया गया बच्चों को बताया गया कि उनके आसपास किसी भी अवैध

/गैरकानूनी क्रियाकलापों के लिए वह 112 तथा 9643200225 डायल कर सूचना दे सकते हैं।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा दिनांक 05.04.2026 की रात्रि में एक व्यक्ति को गोली मारकर गम्भीर रूप से घायल करने वाले नामित/वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

दिनांक 06.04.2026 को वादी श्री उमेश कुमार पुत्र शिव कुमार निवासी ग्राम नूरपुर थाना मसूरी गाजियाबाद की तहरीरी सूचना दिनांक 05.04.2026 को रात्रि करीब 11.00 बजे मुकदमा वादी के पिता श्री शिवकुमार उम्र करीब 50 वर्ष अपने घर पर थे तभी अभियुक्तगण 1.मिन्टू उर्फ पिकेष पुत्र जितेन्द्र, 2.शुभम 3.क्रिस द्वारा घर के बाहर खडे होकर गाली-गलौच कर रहे थे। शिव कुमार द्वारा गाली देने को मना करने व घर के सामने से जाने को लेकर वाद विवाद हो गया और मिन्टू उपरोक्त द्वारा फायर कर दिया गया जिसमे शिव कुमार गंभीर रूप से घायल हो गये जिनका यशोदा अस्पताल गाजियाबाद में उपचार चल रहा है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मसूरी पर अभियुक्तगण के विरूद्ध सुसंगत धारा 191(2)/191(3)/190/109(1) बीएनएस व 3(2)(Va) SC/ST ACT के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात् थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में नामित / वांछित अभियुक्त क्रिस पुत्र बिन्दर निवासी नूरपुर थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष व अभियुक्त शुभम पुत्र हरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम नूरपुर थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को चित्तोडा पुल थाना मसूरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 05.04.2026 को हम व हमारे दोस्त मोन्टी, मिन्टू उर्फ पिकेष व राज, अपने गांव के शिवकुमार के घर के सामने खडे होकर बातचीत कर आपस में मुहभाषा कर रहे थे।इस पर शिवकुमार ने अपने घर के सामने से हमे जाने को कह दिया था यह बात हमारे दोस्त मिन्टू उर्फ पिकेष को गलत लगी थी और कहा सुनी होने लगी थी इसी बीच मिन्टू उर्फ पिकेष की मम्मी सोनिया भी मौके पर आ गयी थी तभी मिन्टू उर्फ पिकेष ने आवेश में आकर अपना तंमचा निकालकर फायर कर दिया जिस कारण यह घटना घटित हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.क्रिस पुत्र बिन्दर निवासी नूरपुर थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

2. शुभम पुत्र हरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम नूरपुर थाना मसूरी कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मसूरी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।